न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भरतसिंह बनाम अजीतसिंह टीआरई - 291/23 (2023/58)	
12/10/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने तर्क पेश किया कि आराजी ख.नं. 504 रकबा 8.7400 हैक्ट., ख.नं. 805/506 रकबा 3.1107 हैक्ट. वाके मौजा खरखा तहसील लालसोट स्थित कृषि उभय पक्षो की सह-खातेदारी की कृषि भूमि है। अतः आराजीयात में सभी सह-खातेदारान का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा व हक है। संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसका विधिवत तकासमा हुआ नहीं है। वकील प्रार्थी ने यह भी तर्क पेश किया की सह-खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सह-खातेदार के कब्जे की अवधारणा है। इस अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह-खातेदार का कब्जा है। अप्रार्थी सह-खातेदारी की भूमि का बिना विधिवत तकासमा किये खुर्द-बुर्द करने व प्रार्थी को डिस्पजेश करने पर आमदा है। अतः प्रार्थी के हक मे जारी अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 26-06-2023 को बरकरार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला [illegible] बाधित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता [illegible] के कथनों का खण्डन करते हुए तर्क दिये कि जिस भूमि को प्रार्थीगण ने वादग्रस्त	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.02.22 16:29:22 IST
Reason: SelfAttested

मानसिंह बनाम अजीतसिंह
मु० प्रकरण संख्या 2023/58

करार किया है इसको लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच कोई विवाद नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। ना ही परेशान किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा गलत बनावटी व मनगढ़ंत प्रार्थना-पत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात का By metes & bounds विभाजन करवाने हेतु अप्रार्थीगण सहमत है। विभाजन कर दिया जावे कोई आपत्ति नहीं है। वकील अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किये है कि अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 ने अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 4 से आराजी वादग्रस्त खरीद की है तथा इकरारनामा भी करवा लिया है। विक्रयनामा पंजीबद्ध करवाना शेष है। इस विक्रयनामा को रुकवाने हेतु यह मुकदमा पेश किया है जो निराधार है। सह खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता यह विधि में व्यवस्था दी है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर फरमाया, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] हलफनामा, सुविधा का [illegible] तीनों बिन्दुओं पर [illegible] राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि आदेश जारी नहीं किया गया तो प्रार्थीगण की अपेक्षा—

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.02.22 16:29:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]लासिंह बनाम अजीतसिंह टीसीआरई - 2023/58 प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी इस आधार पर असुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। चूंकि वादग्रस्त आराजी [illegible] 2016 हैक्टेयर की संयुक्त कृषि भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है बिना विधिक विभाजन हुए वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू-भाग का खुर्द-बुर्द करना या मौके स्थिति को डिस्टर्ब करने से प्रतिषेधित किया जाना न्यायसंगत है इस प्रकार अपूरणीय क्षति व्यादेश के अभाव में प्रार्थीगण के पक्ष में कारित होना संभव है। अतः तीनों बिन्दुओं के विनिश्चय के उपरान्त न्यायालय का मत है कि न्याय ऐसा होना चाहिए जो केवल किया ही नहीं जावे बल्कि दिखना भी चाहिए तभी न्याय का उद्देश्य सफल है। अतः न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 26/06/2023 के अनुक्रम में वादग्रस्त आराजी के मौके की यथा स्थिति बनाये रखने व [illegible] काश्त में दखल न करने [illegible] को तारीफैसला वाद प्रतिषेधित किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] मुलाहिजा रहे।	

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.02.22 16:29:22 IST
Reason: SelfAttested